भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

***

मई, 2021 के लिए मासिक सारांश

पंचायती राज मंत्रालय, संविधान के 73 वें संशोधन की निगरानी और कार्यान्वयन, परामर्शी कार्य के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के पदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक बुनियादी ढाँचा, बुनियादी
सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपर्युक्त उद्देश्य को साकार करने के लिए मंत्रालय का रोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों के माध्यम से है:

- वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से आरएलबी का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना और परामर्शी कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरण और समग्र योजना।

माह के दौरान निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ थी:

1. कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर ग्रामीण स्थानीय निकायों की सहायता के लिए शमनकारी उपायों हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 हेतु 25 राज्यों के लिए 8923.80 करोड़ रूपए की पंद्रहवें वित्त आयोग मूल (अबद्ध) अनुदान की पहली किस्त जारी की गई थी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी को देखते हुए और वहां विभिन्न प्रतिबंधों और राहत उपायों तथा विकासात्मक गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने 26 राज्यों के लिए 13402.2 करोड़ रूपए की बद्ध राशि की सिफारिश वित्त मंत्रालय को की है।
2. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के बद्ध अनुदान की 2272.00 करोड़ रूपए की दूसरी किस्त अरूणाचल प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु को जारी की गई थी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मूल अनुदान की दूसरी किस्त की 548.48 करोड़ रूपए की बकाया राशि तमिलनाडु को जारी की गई है।

3. ग्रामीण भारत में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए नियंत्रणकारी उपायों, ग्रामीण समुदायों की जागरूकता हेतु गहन संप्रेषण अभियान, गांव स्तर पर राहत एवं पुर्नवास प्रदान करने के लिए उपलब्ध आईटी अवसंरचना एवं विभिन्न स्कीमों का लाभ उठाने इत्यादि के संबंध में राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किए गए।

4. इस मंत्रालय द्वारा पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना बनाकर/ तैयार करके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उनके अनुमोदन हेतु अग्रेषित की गई है।

5. पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों/ परम्परागत स्थानीय निकायों में अनिवार्य पंद्रहवें वित्त आयोग हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा दिशा निर्देशों को राज्यों के परिचालन हेतु अनुमोदित किया है।

6. स्वामित्व स्कीम के अन्तर्गत गांवों में ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में ग्रामीण गृह स्वामियों को ''हक विलेख'' प्रदान करने और सम्पत्ति स्वामियों को वैधानिक दस्तावेज/ सम्पत्ति कार्ड जारी करने के उद्देश्य से माननीय केन्द्रीय मंत्री ने वर्ष 2021-2025 में इस स्कीम के पायलट चरण के आरम्भ से इसकी यात्रा पर स्कीम रूपरेखा (2020-21) और काफी टेबल बुक का शुभारंभ किया। अब तक 7 राज्यों में 7,440 गांवों के लगभग 7.09 लाख सम्पत्ति स्वामियों को परिसम्पत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। मई, 2021 में केवल 378 गांवों में ड्रोन उड़ान की जा सकी।

7. पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों को विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ाने के उपाय के रूप में राज्यों पर सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए जोर दे रहा है। इस संबंध में, मंत्रालय राज्यों पर ई-ग्राम स्वराज पर खाता बंद करने और पीएफएमएस पर ग्राम पंचायत पंजीकरण पर जोर दे रहा है। वर्ष 2020-21 के लिए, 88% ग्राम पंचायतों ने अपनी मंथ बुक बंद कर दी है और 63% जीपी ने अपनी ईयर बुक बंद कर दी है।

8. 1,99,339 ग्राम पंचायत ई-ग्राम स्वराज- पीएफएमएस इंटरफेस पर आ गई है। वर्ष 2020-21 के लिए, 1,54,124 ग्राम पंचायत ने केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत किए गए व्यय के लिए ईजीएसपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया है। मई, 2021 माह में 33,979 पीआरआई ने पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के किए गए व्यय हेतु ई-जीएसपीआई का उपयोग करते हुए ऑनलाइन विनिमय किया है।

9. इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थानों स्तर पर जवाबदेही एवं पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए ई-ग्राम स्वराज में स्वत: पावति प्रविष्टियों को कैप्चर करने के लिए ''पीएफएमएस के साथ राज्य कोष प्रणाली का रिवर्स इन्टेग्रेशन'' की प्रक्रिया में है। 16 राज्यों ने राज्य कोष प्रणाली का रिवर्स इन्टेग्रेशन पूरा कर लिया है।

10. मंत्रालय ने इसके अलावा, जमीनी स्तर पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत एक एप्लिकेशन-ऑडिट ऑनलाइन की भी शुरूआत की है। यह एप्लिकेशन पंचायत लेखों की ऑनलाइन लेखापरीक्षा की सुविधा देता है और आन्तरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षा संबंधी सूचना का ब्यौरा रिकॉर्ड करता है। वर्ष 2019-20 के लिए 26 राज्यों (केरल सहित) ने 14 वें वित्त आयोग की लेखा परीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों (6372 लेखा परीक्षक पंजीकृत) के पंजीकरण और लेखा परीक्षा योजना (93,460 जीपी) तैयार करना शुरू कर दिया है। 26 राज्यों ने जीपी (ऑडिटी) प्रयोक्ता (2,09,375 ऑडिटी) का सृजन शुरू कर दिया है। 24 राज्यों ने इस अनुप्रयोग पर टिप्पणियां भी (5,42,335 टिप्पणियां) रिकॉर्ड की है और 22 राज्यों ने लेखा परीक्षा रिपोर्ट (32,991 रिपोर्टें) बनाई हैं। वर्ष 2020-21 के लिए 14,056 जीपी द्वारा लेखा परीक्षा योजनाएं बनाई गई हैं।

11. आरजीएसए स्कीम के अन्तर्गत 10 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक कार्य योजना सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में आरजीएसए की केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति की 5 वीं बैठक में अनुमोदित की गई थी। सभी वार्षिक कार्य योजनाओं पर विचार किया गया तथा एमआईएस पोर्टल पर ऑनलाइन अनुमोदित की गई। वार्षिक कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण एवं इसका ऑनलाइन अनुमोदन जवाबदेही, पारदर्शिता और एक हद तक प्रस्तावों का शीघ्र निपटान करेगा। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों की वार्षिक कार्य योजना के अनुदान के लिए आरजीएसए स्कीम के तहत 73.31 करोड़ रूपए की सहायता अनुदान जारी की गई है।

12. एसडीजी के स्थानीयकरण पर मंत्रालय को सलाह देने के लिए चयनित राज्यों, पंचायती राज मंत्रालय और नीति आयोग के राज्य पंचायती विभाग और राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी) के वरिष्ठ अधिकारियों के एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है।

13. पंचायती राज मंत्रालय ने परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी किए गए पेरी-शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कोविड -19 नियंत्रण और प्रबंधन पर सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अग्रेषित किया और एसओपी को पंचायतों/पारंपरिक निकायों सहित समस्त संबंधित हितधारकों को एसओपी दिशानिर्देशों के अनुसार कोविड-19 प्रबंधन और रोकथाम के लिए सभी आवश्यक और उचित उपाय करने के लिए व्यापक रूप से प्रसारित करने का अनुरोध किया। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए 20 से 31 मई 2021 के दौरान राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (विभिन्न बैचों में) के साथ श्री (डॉ.) चंद्रशेखर कुमार, अपर सचिव, पंचायती राज

मंत्रालय की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठकों की एक श्रृंखला का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नवीनतम एसओपी के मद्देनजर जागरूकता / आईईसी और समग्र तैयारी के रूप में किया गया जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोविड-19 नियंत्रण और नैदानिक प्रबंधन प्रथाओं की रूपरेखा तैयार करती है।

14. ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रसार को कम करने/रोकने के लिए विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रथाओं/नवीन कदमों को देश भर की अन्य पंचायतों में व्यापक प्रसार और उसकी प्रतिक्रिया के लिए सोशल मीडिया/व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से व्यापक रूप से साझा किया गया। इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय लगातार कोविड-19 सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन पर आईईसी सामग्री को पोस्ट / ट्वीट / साझा / रीट्वीट / रीपोस्ट कर रहा है और जमीनी स्तर पर कोविड-19 के खिलाफ गहन आम लड़ाई की गति को बनाए रखने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है।

15. वेंटिलेटर की जांच के लिए तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर पत्र दिनांक 3/5/2021 के माध्यम से जारी गृह मंत्रालय (एमएचए) के स्पष्टीकरण को राज्य / केंद्र शासित प्रदेश पंचायती राज के विभागों के साथ उपरोक्त स्पष्टीकरण को क्षेत्रीय एजेंसियों को प्रसारित करने के अनुरोध सहित साझा किया गया था ताकि वेंटिलेटर का निर्बाध निर्माण, परीक्षण और आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। वेंटिलेटर के परीक्षण के लिए तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर एमएचए का स्पष्टीकरण दिनांक 3/5/2021 मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

16. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलने के लिए कोविड-19 के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली टोसीलिज़ुमैब (80 मिलीग्राम शक्ति) की 45,000 शीशियों के अतिरिक्त आवंटन के संबंध में फार्मास्युटिकल विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी संयुक्त पत्र दिनांक 11/5/2021 देश भर में बढ़ी हुई मांग को पंचायती राज के राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों के साथ साझा किया गया था ताकि जरूरतमंद मरीजों, निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों द्वारा आवंटित शीशियों को प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित तंत्र को व्यापक रूप से प्रचारित किया जा सके।

17. देश भर में पंचायती राज संस्थानों के साथ साझा करने के लिए हल्के / बिना लक्षण वाले कोविड-19 मामलों (परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विकसित) (हिंदी और अंग्रेजी में) में होम आइसोलेशन के लिए विस्तृत (संशोधित) दिशानिर्देश देश भर के पंचायती राज संस्थानों को आगे साझा करने के लिए राज्यों / केंद्रशासित

प्रदेशों के बीच प्रसारित किए गए थे और इसे संबन्धित वेब-लिंक [https://panchayat.gov.in/en/covid] पर अपलोड किया गया।

18. भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21/5/2021 (क) दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, दक्षिण अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति (ब) 22 मई 2021 को पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर पर एक कम दबाव का क्षेत्र का संभावित गठन और एक चक्रवाती तूफान में इसकी तीव्रता के संबंध में जानकारी के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया था।

19. 1 मई, 2021 को मंत्रालय के पास 40 शिकायतें/याचिकाएं लंबित थीं और मई माह के दौरान 204 (अर्थात 196 ऑनलाइन + 8 वास्तविक) शिकायतें/याचिकाएं प्राप्त हुई थीं। कुल 244 (मई में प्राप्त 204 + पिछले महीने से 40 अग्रेषित), में से 203 शिकायतों / याचिकाओं का निपटारा मई में किया गया और 1 जून, 2021 को 41 को अग्रेषित किया गया।

20. मई 2021 के दौरान, ई-ऑफिस प्रणाली में 39 ई-फाइलें खोली गईं, जो महीने के दौरान खोली गई कुल फाइलों का 100% है।

21.

Government of India

Ministry of Panchayati Raj

***

Monthly Summary for the month of May, 2021

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realise the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work.

The following were the main activities during the month:

1. In view of the Covid Pandemic, in order to assist the Rural Local Bodies towards mitigation measures, on recommendation of Ministry of Panchayati Raj, the first instalment of XV FC Basic (Untied) Grants of Rs. 8923.80 crore for FY 2021-22 was released in advance by Ministry of Finance to 25 States. In view of ingress of Covid-19 Pandemic in the rural areas of the country and to ensure various containment and relief measures as well as developmental activities there, Ministry of Panchayati Raj has recommended to Ministry of Finance for release of Tied Grants to the tune of Rs. 13402.2 crore to 26 States.

2. The second instalment of XV FC Tied Grant for FY 2020-21 of Rs. 2272.00 crore was released to Arunachal Pradesh, Punjab, Rajasthan and Tamil

Nadu. Balance amount of second instalment of Basic Grant of Rs. 548.48 crore for FY 2020-21 has been released to Tamil Nadu.

3. Advisories issued to States/UTs on preventive measures to curb the spread of COVID 19 in rural India, need for intensive communication campaign for awareness of rural communities, leveraging available IT infra and various schemes to provide relief and rehabilitation at village level etc.

4. Disaster Management Plan of Ministry of Panchayati Raj drafted / prepared by the Ministry has been forwarded to National Disaster Management Authority (NDMA) for their approval.

5. Social Audit Guidelines for Fifteenth Finance Commission Grants mandated activities in Rural Local Bodies (RLBs)/Traditional Local Bodies (TLBs) has been approved by the Minister of Panchayati Raj for circulation to the States.

6. Under SVAMITVA Scheme aiming to provide the 'Record of Rights' to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages and issuance of legal document/Property cards to the Property owners, Hon'ble Union Minister launched Scheme Framework (2021-2025) and Coffee Table Book on the journey of the scheme since its pilot phase that started in 2020-21. Till now Property cards have been distributed to appox.7.09 lakh Property owners of nearly 7,440 villages in 7 States. In May 2021, drone flying could be done only in 378 villages.

7. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing States for closure of account on eGramSwaraj as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS. For the year 2020-21, 88% of the GPs have closed their month books and 63% of the GPs have closed their year books.

8. 1,99,339 GPs have on-boarded eGramSwaraj-PFMS Interface (eGSPI). For the year 2020-21- 1,54,124 GPs have carried out online payments through eGSPI for the expenditure incurred under the Central Finance Commission. In the month of May 2021- 33,979 PRIs have transacted online using eGSPI for the expenditure incurred XV Finance Commission Grant.

9. Further, strengthening the accountability and transparency at the PRI level; MoPR is in the process of 'Reverse Integration of State Treasury system with PFMS' to capture the receipt entries automatically in eGramSwaraj. 16 States have completed this exercise of reverse integration of State treasury system.

10. Also for strengthening the transparency and accountability at grassroots level; the Ministry has rolled out an application - AuditOnline under e-panchayat Mission Mode Project (MMP). It allows for online audit of Panchayat accounts and records detailed information about internal and external audit. For the year 2019-20, 26 (including Kerala) State have started registration of Auditors (6,372 Auditor registered) and preparation of Audit Plan (of 93,460 GPs) for Auditing 14th Finance Commission accounts. 26 States have started creating GP (Auditee) users (2,09,375 Auditees). 24 States have also recorded Observations (5,42,335 observations) on the application and 22 States have generated audit reports (32,991 Reports). For the year 2020-21, audit plans have been prepared by 14,056 GPs.

11. The Annual Action Plan (AAP) for FY 2021-22 of 10 States and UTs under RGSA scheme were approved at the 5th meetings of Central Empowered Committee of RGSA chaired by Secretary, PR. All the AAP were considered and approved online on the MIS portal. The submission of AAPs and its approval online will ensure accountability, transparency and to an extent facilitate quick disposal of proposals. Grants-in-aid to the tune of Rs.73.31 Cr has been released under the scheme of RGSA towards the approved AAP of the states of Karnataka, Chhattisgarh, West Bengal, Madhya Pradesh and Bihar.

12. An Expert Group comprising senior officers of state PR department and State Institutes of Rural Development (SIRDs) from selected states, MoPR and NITI Aayog has been set-up to advise the Ministry on the Localization of SDGs.

13. Ministry of Panchayati Raj forwarded to all the States/UTs Standard Operating Procedure (SOP) on Covid -19 containment and management in peri-urban, rural and tribal areas issued by Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) requesting them to widely circulate the SOP to all stakeholders concerned including Panchayats/Traditional Bodies for taking all necessary and appropriate measures for Covid-19 management and containment as per SOP guidelines. A series of virtual meetings under the Chairmanship of Shri (Dr.) Chandra Shekhar Kumar, Additional Secretary, MoPR with States / Union Territories (in different batches) during 20th – 31st May 2021 to discuss and review the steps taken by the States/UTs vis-à-vis awareness / IEC and overall preparedness in view of the MoHFW's latest SoPs, which outline the COVID-19 containment and clinical management practices for rural areas.

14. Best practices / innovative steps undertaken by Gram Panchayats in various States/ UTs for slowing / stopping the spread of COVID-19 in rural areas were extensively shared through Social Media / WhatsApp Groups for wider dissemination and replication in other Panchayats across the country. In addition, MoPR has continuously been posting/ tweeting/ sharing/ retweeting/ reposting the IEC materials on COVID-19 Positive Behavioral Changes and also raising awareness about COVID-19 vaccination through Ministry of Panchayati Raj's social media platforms to maintain the momentum of intensive common fight against COVID-19 at grassroots level.

15. Ministry of Home Affairs (MHA)'s clarification issued vide letter dated 3/5/2021 on use of liquid oxygen for testing of ventilators was shared with State / UT Departments of Panchayati Raj with a request to disseminate the above clarification to the field agencies, so as to ensure unhindered

manufacturing, testing and supply of ventilators. MHA's clarification dated 3/5/2021 on use of liquid oxygen for testing of ventilators has been uploaded on the website of the Ministry.

16. Joint letter dated 11/5/2021 issued by Department of Pharmaceuticals and Ministry of Health & Family Welfare regarding additional allocation of 45,000 vials of Tocilizumab (80 mg strength), used for the treatment of COVID-19, to States and Union Territories to meet the increased demand across the country, was shared with State/UT Departments of Panchayati Raj with a kind request to widely publicize the mechanism put in place in the respective State/UT of obtaining the allocated vials by the needy patients, Private Hospitals and Government Hospitals.

17. Illustrated (Revised) Guidelines for Home Isolation of Mild / Asymptomatic COVID-19 Cases (Developed by MoHFW) (in Hindi and English) was circulated among States /UTs for further sharing with Panchayati Raj Institutions across the country and the same has been uploaded on dedicated web-link [https://panchayat.gov.in/en/covid]

18. A Press Release dated 21/5/2021 issued by India Meteorological Department regarding (a) Advance of Southwest monsoon into some parts of South Bay of Bengal, South Andaman Sea, Nicobar Islands and some parts of North Andaman Sea (b) Likely formation of a low pressure area over east-central Bay of Bengal and adjoining north Andaman Sea on 22nd May 2021 and its intensification into a Cyclonic Storm was shared with States/UTs for information.

19. There were 40 grievances/petitions pending with Ministry as on 1st May, 2021 and 204 (i.e. 196 online + 8 physical) grievances/ petitions were received during the month of May. Out of total 244 (204 received in May + 40 carried forward from last month), 203 grievances/petitions were disposed in May and 41 were carried forward as on 1st June, 2021.

20. During May 2021, 39 e-files were opened in e-office system which constitutes 100% of the total files opened during the month.

****